

22/12/23

पत्रावली प्रेषण हुई। पीछापीन अलिखती दिग्गज  
कर्मों में व्यस्त है, मिसल इत्यादि होकर पत्रावली  
पूर्व आवेशिकावुसार आई-ना दिनांक 21/3/24  
की प्रेषण की गई।

21/03/24

पत्रावली प्रेषण हुई। वकील आर्ची उप.। विगार्गींग  
के नोटिफ़िक्टेड डेलीवरी रिपोर्ट सहित  
आफ़ सेने के बाबजुद विगार्गींग उप. नहीं हुए  
अलः उनसे निरुद्ध एकरफ़ा उमिनाही अगल  
में लाई जाने ही वकील आर्ची ने बटल सुनने  
आ निवेदन किया। वकील आर्ची की बटल सुनी  
गुड़ी बटल पर भनन किया पत्रावली आ शिष्टयभ  
अवलोकन किया गया। नेश्वमनेदी निमित्त अलग  
से लिखा जाउर शामिल पत्रावली (किया गया)  
पत्रावली फ़ैसल सुमार डेउर दाखिल आफ़र है  
संख्या के उम है।



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी 1. अलाना पुत्र मोरीद जाति मुसलमान, निवासी रते का तला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	विप्रार्थीगण 1. ईशा पुत्र साहेबना 2. माधल पुत्र साहेबना 3. अधरमान पुत्र साहेबना 4. सावण पुत्र मठार 5. हबीब पुत्र मठार 6. हमाद पुत्र सहता बनाम 7. फकीर मोहम्मद पुत्र सुलेमान 8. मियादाद पुत्र ताजु जाति मुसलमान, निवासी रते का तला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 9. सादक पुत्र हसन जाति मुसलमान, निवासी नवातला तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
---	---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन संख्या 209/2021

दिनांक : 21/03/2024

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा रते का तला के खेत खसरा संख्या 219/1 रकबा 29.06 बीघा, खसरा संख्या 221/1 रकबा 03.12 बीघा, खसरा संख्या 171 रकबा 15.04 बीघा व खसरा संख्या 173 रकबा 25.19 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्र.सं.क/मु.अ./2024/126-129

प्रतिनिधि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी अलाना पुत्र मोरीद।
3. विप्रार्थी ईशा पुत्र साहेबना वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ।

(विरेंद्रसिंह भाटी, RAS)  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) सेड़वा  
दिनांक 21/03/2024

(विरेंद्रसिंह भाटी, RAS)  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) सेड़वा

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 209/2021 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

अलाना बनाम ईशा वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री विरेन्द्रसिंह भाटी, RAS

प्रार्थी वकील - श्री भवानी शंकर

निर्णय

दिनांक - 21/03/2024


प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा रते का तला के खेत खसरा संख्या 219/1 रकबा 29.06 बीघा, खसरा संख्या 221/1 रकबा 03.12 बीघा, खसरा संख्या 171 रकबा 15.04 बीघा व खसरा संख्या 173 रकबा 25.19 बीघा किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा रते का तला के खेत खसरा संख्या 219/1 रकबा 29.06 बीघा, खसरा संख्या 221/1 रकबा 03.12 बीघा, खसरा संख्या 171 रकबा 15.04 बीघा व खसरा संख्या 173 रकबा 25.19 बीघा किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/03/2024 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

  
(विरेन्द्रसिंह भाटी, RAS)

उपखण्ड अधिकारी  
सेड़वा